झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा०खा०आ० (बैठक) 05/2017—

प्रेषक,

नरेश प्रसाद केवट,
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
सारठ, देवघर।

राँची, दिनांकः—

विषयः— कार्डधारियों से वैक्सीनेशन का प्रमाण—पत्र लेने के पश्चात् ही राशन दिये जाने के निर्देश सम्बन्धी प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशित समाचार में कार्डधारियों से वैक्सीनेशन का प्रमाण—पत्र लेने के पश्चात् ही राशन दिये जाने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर के स्तर से पणन पदाधिकारी को दिये जाने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है (प्रति संलग्न)। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् प्रत्येक योग्य लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा व दर पर खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम से विशेषकर वे लोग आच्छादित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब तबके से आते हैं तथा काफी हद तक जनवितरण प्रणाली के तहत् मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर हैं।

विदित्त हो कि कोविड—19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक सतत् लंबी चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसके पूर्ण होने में काफी समय लगने की भी संभावना है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में कोविड—19 से बचाव हेतु जारी लॉकडाउन के कारण ऐसे परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है एवं नियमित आय का कोई अन्य स्रोत नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर के स्तर से यह निदेश दिया जाना कि वैक्सीनेशन प्रमाण—पत्र लेने के पश्चात् ही राशन दिया जाय, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 का घोर उल्लंघन है एवं इससे ऐसे व्यक्तियों/परिवारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—मिसिल संख्या जेड 60011/06/2020 — सी० वी० सी०, दिनांक — 09.03.2021 द्वारा दी गई सूचना में इस प्रकार की सुविधा के लिए वैक्सीन लेने की अनिवार्यता से कोई सम्बन्ध नहीं बताया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त निदेश को तत्काल निरस्त करते हुए सभी लाभुकों एवं योग्य व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक व त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के उद्देश्यों का अनुपालन किया जा सके।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Dyauf\During Lockdown\Sarath Deoghar\Letter.docx1

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–रा0खा0आ0 (बैठक) 05/2017– 298 राँची, दिनांक– 29/05/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेश प्रसाद कैवर्त)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\During Lockdown\Sarath Deoghar\Letter.docx2

Scanned with CamScanner

कार्डधारियों से वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही राशन दें : बीडीओ

- बीडीओ ने एसओ के नाम जारी किया निर्देश

प्रतिनिधि, रसड़ा

अब सभी राशनकार्ड धारियों को कोविड वैक्सीनेशन होने का प्रमाण पीडीएस दुकानदार को दिखाना होगा, तभी उन्हें राशन की आपूर्ति हो पायेगी. इसको लेकर रसड़ा बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश जारी किया है.जारी आदेश में बताया गया कि जो डीलर अब तक वैक्सीन नही लिये है वो भी अविलंब सीएचसी पहुंच कर कोविड वैक्सीन ले, साथ ही एसओ को बताया गया है वे डीलर को निर्देशित करें कि डीलर अपने पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जुड़े कार्डधारियों को कोविड वैक्सीनेशन होने का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही राशन आपूर्ति करेंगे. बताया गया कि प्रखंड में शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन हो, इसके लिए एक प्रयास किया गया है.

इसके तहत प्रखंड क्षेत्र में कुल 30 हजार 915 राशनकार्ड धारी है. जिसमे एक लाख 50 हजार 215 सदस्य जुड़े है. अगर कार्ड धारी में बच्चे को छोड़ कर जोड़ा जायेगा तो लगभग 70 से 80 हजार सदस्य है, जो 18 से ऊपर होंगे. बीडीओ ने बताया कि इस सारी कवायद के पीछे मंशा है कि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना, ताकि लोग वैक्सीन लेने के लिए जागरूक हो, इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पायेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन की समस्या से जूझ रही मेडिकल टीम को भी सहायता मिलेगी.

इस पहलकदमी के पीछे मंशा है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाय और कोरोना से बचाया जाये.

Scanned with CamScanner

P. iss

मिसिल संख्या जेड.60011/06/2020-सीवीएसी

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सीवीएसी अनुभाग

09 MAR 2021 ISSUED MINISTRY OF HEALTH & FW

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 09 मार्च, 2021

To,

Sh. Anurag Sinha,
Qtr no. 10 po swang bokaro
Jharkhand, gomia, 829128
Jharkhand

विषय: आरटीआई अधिनियम, २००५ के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपनी आर.टी.आई. एमओएचएफ़डब्ल्यू/आर/ई/21/00630, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के संदर्भ ले जोकि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27.02.2021 को प्राप्त हुआ था जिसमें आर.टी.आई.(RTI) अधिनियम, २००५ के तहत जानकारी मांगी गई है

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, जबरदस्ती	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है।
ii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जायगी, सरकारी योजना पेंशन	आवेदन मे लिखी बातें निराधार है । किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का. कोई सम्बन्ध नही है ।
iii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगा, ट्रेन, बस, मेट्रो मे चढ़ने नहीं मिलेगी	
iv	यदि कोई ias ips स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे की वैक्सीन ले नही तो ये कर देगे तो नागरिक क्या कर सकती क्या कोर्ट जा सकते है	
v	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए क्या वैक्सीन नहीं मिलेगे	
vi	क्या वैक्सीन नही लेने पर नौकरी से निकला जा सकता है वेतन रोका जा सकत है, निजी और सरकारी विभाग दोनों मे ।	

01c

Scanned with CamScanner

2. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो सुश्री, सुनीता नायर, उपसचिव, (सी. वी. ए. सी.), क.न. 435 सी.-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भवन भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति के ३० दिनो के भीतर अपील कर सकते है। वो इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी है।

भवदीय

सरूप सिंह

(सरूप सिंह)

अवर सचिव और सीपीआईओ, भारत सरकार

दूरभाष न: ०११-२३०६२९५९

प्रति सूचनार्थ हेतु:

1. अनुभाग अधिकारी, आरटीआई सेल, स्वास्थ्य एवंम परिवार कल्याण मंत्रालय आर.टी.आई. फ .सं. एफटी/60011 एमओएचएफ़डबल्यू/आर/ई/21/00630, दिनांक 27.02.2021 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (प्रति.), स्वा.एवंम प.क.मंत्रालय

Scanned with CamScanner